न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 316–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–12–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हातोद जिला इंदौर प्रकरण कमांक 17/अ–6–अ/13–14.

जमील फातमा पिता अब्दुल रहीम खान
निवासी सी–75, गांधीनगर बडा बांगडदा,
तहसील हातोद जिला इंदौर म0 प्र0
हाल मुकाम 3204–ए, प्रथम मंजिल,
कूचा ताराचंद दरियागंज दिल्ली–2 .... आवेदिका

विरूद्ध

शकील फातमा पिता अब्दुल रहीम खान
निवासी गांधीनगर बडा बांगडदा,
तहसील हातोद जिला इंदौर म0 प्र0 ....अनावेदिका

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका.
श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदिका.

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 5/8/15 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हातोद जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, हातोद के समक्ष संहिता की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम बांगडदा तहसील हातोद स्थित भूमि सर्वे कमांक 691 रकबा 1.007 हैक्टेयर है । उक्त भूमि वर्ष 1990–91 के पूर्व शाहिदा नाजली पिता सफदर अली खान के नाम पर अभिलेखों में दर्ज रही । शाहिदा नाजली की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि वारिसान नाते अनावेदिका को प्राप्त हुई और

उसका नामांतरण हुआ था, परन्तु त्रुटिवंश अनावेदिका के स्थान पर आवेदिका जमील फातमा का नाम दर्ज हो गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि पर खेती अनावेदिका अपने पुत्र के माध्यम से कर रही है, अतः उक्त त्रुटि को सुधार कर अनावेदिका का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–6–अ/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित संहिता की धारा 43 एवं 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 115 में त्रुटि सुधार हेतु तहसीलदार को स्वप्रेरणा से अधिकार प्राप्त है और संहिता की धारा 116 के अंतर्गत एक वर्ष की समय सीमा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है । इसके अतिरिक्त पूर्व में हुई प्रविष्टि को संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत दुरूस्त किया जा सकता है, नवीन प्रविष्टि का सृजन नहीं किया जा सकता है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–12–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुये कि उनके द्वारा आदेश दिनांक 5–9–1991 का अमल राजस्व अभिलेख में किया जाना है, कोई नवीन प्रविष्टि का सृजन नहीं किया जा रहा है, जो प्रविष्टि पूर्व में सृजित हो चुकी है उसे ही दुरूस्त किया जाना है, आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदिका के द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह वर्णित नहीं किया गया है कि शाहिदा नाजली पिता सफदर अली खान की मृत्यु के पश्चात उनके अन्य वारिस को अर्थात अनावेदिका को क्यों अधिकार प्राप्त नहीं हुए एक मात्र उन्हें उक्त भूमि में वारिसान नाते किस दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि प्राप्त हुई है, अन्य वारिसों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर पारित आदेश विधि विपरीत अवैध व शून्य है । उक्त आदेश वर्ष 1991 का है, जो आज से करीब 23 वर्ष पूर्व का है, ऐसी स्थिति में पूर्व में पारित आदेश अधिकारिता बाह्य होने से अवैध व शून्य है । ऐसे विचाराधिकार बाह्य एवं शून्य आदेश के आधार पर अनावेदिका को कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है । जबकि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदिका के पास मृतक के द्वारा निष्पादित हिबानामा है, जिस पर स्वयं अनावेदिका के बतौर गवाह हस्ताक्षर है । ऐसी स्थिति में

इस तथ्य को नजर अंदाज कर पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है ।

(2) संहिता की धारा 115 के अंतर्गत प्रविष्टि की दुरूस्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान निर्मित नहीं किया गया है । ऐसी अवस्था में इस धारा के अंतर्गत यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो वह धारा 116 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया होना माना जावेगा, फिर भी तहसीलदार के द्वारा इस कानूनी पहलू को नजर अंदाज कर अनावेदिका के आवेदन पत्र को राजस्व अभिलेखों में पूर्व के नामांतरण के आधार पर अंकित करने बाबद मानकर आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

(3) जहां तक संहिता की धारा 116 का प्रश्न है संहिता की धारा 116 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में की गई किसी ऐसी प्रविष्ठि से व्यथित हो जो कि धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हो, तो ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसे दुरूस्त किये जाने की अवधि निर्धारित की गई है । पिछले कई वर्षों के खसरों से स्पष्ट होता है कि प्रारंभ से लेकर कभी भी अनावेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित ही नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रविष्ठि को दुरूस्त इस धारा के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है । अनावेदिका का नाम कभी खसरो में दर्ज हुआ ही नहीं है, ऐसी स्थिति भी कोई त्रुटि होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । आवेदिका एवं अनावेदिका दोनों बहने है । ऐसी स्थिति में उक्त प्रविष्ठियों की जानकारी अनावेदिका को पूर्व से रही है । उसके द्वारा कभी भी किसी प्रविष्ठि की दुरूस्ति के लिये कभी कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण से भी नई प्रविष्टि का सृजन तहसीलदार के न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तथा उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार भी अनावेदक का इंद्राज राजस्व अभिलेखों में करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र विचार किए जाने योग्य नहीं है ।

(4) आवेदिका का नाम शाहिदा नाजली के द्वारा निष्पादित हिबानामा के आधार पर अंकित किया गया है । धारा 115 116 के अंतर्गत केवल वे ही इंद्राज दुरूस्त किये जा सकते है, जो तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारी अर्थात पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवंश किए गए हो इन्ही त्रुटियों को दुरूस्त करने हेतु धारा 115 116 निर्मिति की

गई है । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका का नाम न्यायालय के वैध आदेशों के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के कारण उन आदेशों के अंतर्गत किए गए इंद्राजों का दुरूस्त नहीं किया जा सकता है । आवेदिक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के आवेदन पत्र को अस्वीकार करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है । अतः तहसीलदार हातोद के द्वारा पारित आदेश मनमाना होकर निरस्त होने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को तथ्य को नजर अंदाज किया गया है कि अनावेदिका का नाम त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ है, जबकि अनावेदिका के हित में पारित आदेश के आधार पर ही नाम दर्ज करने की कार्यवाही की गई है । वर्ष 1990–91 की बी–1 का अवलोकन करने पर ज्ञात होगा कि बी–1 में अनावेदिका के द्वारा दस्तावेज में कुट रचना कर नाम में काटपीट की गई है, तथा जमील को शकील बनाया गया है, इसी प्रकार नामांतरण पंजी के अवलोकन से भी ज्ञात होगा कि उक्त पंजी पर अंकित आवेदिका के नाम को भी कुटरचना कर शकील बनाया गया दिखाई दे रहा है । वैसे भी अनावेदिका विवाहित होकर अपना नाम शकील पिता अब्दुल रहीम नहीं लिखती है, वह अविवाहित होकर अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम उपयोग करती है। ऐसी स्थिति में अनावेदिका के द्वारा मात्र मन में बेईमानी उत्पन्न हो जाने से एवं आवेदिका का शहर इंदौर से बाहर रहने का फायदा लेकर सदर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदिका के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अवधि बाह्य होने से उपरोक्त आधारों पर निरस्त होने योग्य है ।

(6) अनावेदिका के द्वारा विधि के विपरीत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अंतर्गत विधि के द्वारा वर्जित वाद के प्रचलन पर रोक लगाने हेतु उक्त प्रावधान निर्मित किया गया है । जिसे नजर अंदाज कर तहसीलदार के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है । तर्कों के समर्थन में 1984 राजस्व निर्णय 11, 1998 राजस्व निर्णय 211, 1994 राजस्व निर्णय 395, 2006 राजस्व निर्णय 104, 1998 (2) एम.पी.डब्लू.एन. 165 एवं 1975 आर. एन. 467 के न्याय दृष्टात प्रस्तुत किये गये हैं ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैः–

(1) विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2014 में स्पष्ट रूप में यह उल्लेखित किया है कि अनावेदक के द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मात्र पूर्व आदेश दिनांक 5–9–1991 का राजस्व अभिलेखों में अमल चाहा गया है । जबकि इस न्यायालय द्वारा किसी भी नई प्रविष्टि का सृजन नहीं किया जा रहा है । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक आदेश दिनांक 22–12–2014 पारित कर आवेदिका का उक्त आवेदन में वर्णित प्रावधान अनावेदिका के प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान दावे को अस्वीकार करने के संबंध में है, जबकि वर्तमान प्रकरण संहिता के अंतर्गत धारा 115 व 116 के तहत वर्तमान भू–अभिलेख में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि वाद अथवा दावे की श्रेणी में नहीं आता है एवं उपरोक्त के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों पर विचार करते हुए विधिक आदेश पारित किया है तथा धारा 43 संहिता के संबंध में आवेदन प्रस्तुत होने का उल्लेख है तब यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि धारा 43 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि इस संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध न होने की दशा में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे, जबकि वर्तमान प्रकरण में संहिता में स्पष्ट रूप से धारा 115 116 के तहत प्रावधानों में अनावेदिका द्वारा आवेदन वास्ते भू–अभिलेख में दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार धारा 43 भी उक्त प्रकरण में लागू नहीं होती ।

(2) विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण पक्षकारों द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गुणदोषों पर निराकृत किया जाना है, लेकिन आवेदिका द्वारा तकनीकी आधार लेकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिससे कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण का निराकरण नहीं हो सके ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि वर्ष 90–91 से आज दिनांक तक प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका जमील फातिमा का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा है । तहसील के प्रकरण में संलग्न भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका कमांक एन–14922 आवेदिका को भूमिस्वामी दर्ज होने के बाद जारी की

गई है । तहसील के अभिलेख में मृतक भूमिस्वामी द्वारा आवेदिका के पक्ष में किए गए हिबानामे की प्रति संलग्न है, जिस पर अनावेदिका के रूप में गवाह के हस्ताक्षर हैं, इससे आवेदिका के इस तर्क में बल है कि वर्ष 1991 में आवेदिका का नाम हिबानामे के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था । तहसील के समक्ष अनावेदिका द्वारा वर्ष 2014 में लगभग 23 वर्ष उपरांत संहिता की धारा 115–116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है । इतने वर्षों तक अनावेदिका द्वारा किसी प्रकार से कोई आपत्ति अथवा कार्यवाही क्यों नहीं की गई इसका कोई कारण आवेदन में नहीं दिया गया है और ना ही आवेदन में यह उल्लेख है कि अनावेदिका के ध्यान में उक्त त्रुटि पहली बार कब आई । संहिता की धारा 115 के अंतर्गत तहसीलदार स्वप्रेरणा से पूर्व में हुई त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं और संहिता की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र पर तहसीलदार को त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है जिसके लिए एक वर्ष की समयसीमा निर्धारित है । प्रथमतः अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 115–116 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को संशोधन किए जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर नवीन प्रविष्टि किए जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जोकि संहिता की धारा 115–116 के परिधि में नहीं आता है । न्यायदृष्टांत 1998 (2) एम.पी.डब्लू.एन. 165 – में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :– म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 – धारा 116 – खसरा प्रविष्टि अशुद्ध होने पर राजस्व प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रावधान के अंतर्गत एक वर्ष की विहित अवधि में आवेदन पत्र दिए जाने पर ही सही की जा सकती है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1975 आर.एन. 467 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 – धारा – 116 केवल एक वर्ष पूर्व की प्रविष्टि ही सही की जा सकती है। निरंतर 8 एवं 10 वर्ष से खसरा प्रविष्टि होने से उसे राजस्व न्यायालय द्वारा सही नहीं किया जा सकता है , परिसीमा की बाधा आती है । जबकि इस प्रकरण में वर्ष 1991 से आवेदिका का नाम खसरों में भूमिस्वामी के रूप में इन्द्राज है और लंबे अर्से से विवादित आराजी पर आवेदिका का कब्जा दखल है । ऐसी स्थिति में अनावेदिका द्वारा 23 वर्ष पश्चात संहिता की धारा 115, 116 के तहत प्रस्तुत आवेदन विचारणीय योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त अनावेदिका द्वारा जिस नामांतरण पंजी के आधार पर राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है उक्त नामांतरण पंजी में

काटपीट कर नाम में परिवर्तन किया जाना स्पष्ट दर्शित है । अतः ऐसी नामांतरण पंजी के आधार पर राजस्व अभिलेख में अनावेदिका के नाम की प्रविष्टि किया जाना अवैधानिक एवं अनियमित है । तहसीलदार द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किया आवेदिका का आवेदन निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–6–अ/13–14 में पारित आदेश दिनांक 22–12–14 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है । साथ ही उक्त प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर